रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 1973/माघ 13, 1894
No. 27] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 1973/MAGHA 13, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

*New Delhi, the 2nd February* 1973

SUBJECT.—*Licensing conditions for Public and Private Sector for the "Eleventh Yen Credit".*

**No. 16-ITC(PN)/73**.—Attention is invited to Appendix I to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 65-ITC(PN)/72, dated the 9th May, 1972 on the above subject.

2. Para 10 of the conditions for licensing of Public Sector imports under the Eleventh Yen Credit as given therein may be deemed to have been substituted by the following:—

"10. All payments to the supplier under the contract, including the handling charges @ 1/20th *of 1 per cent of the invoice value*, where necessary, would be made by the Government of India, through the Embassy of India, Tokyo. *No remittance from India will be permitted against this import licence*".

3. Other conditions of the Public Notice remain unchanged.

## विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1973

विषय :—"ग्यारहवें येन क्रेडिट" के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए लाइसेंस शर्तें

संख्या 16—आई० टी० सी० (पी एन)/73.—उपयुक्त विषय पर, विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 65—आई० टी० सी० (पी एन)/72, दिनांक 9 मई, 1972 के परिशिष्ट 1 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. ग्यारहवें येन क्रेडिट के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र को आयातों के लिए लाइसेंस जारी करने की शर्तों से सम्बन्धित उपयुक्त परिशिष्ट में कंडिका 10 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित की गई समझी जाए :—

"10. संविदा के अधीन संभरक को सभी भुगतान, जहां आवश्यक हो, बीजक मूल्य के 1 प्रतिशत के 1/20 की दर पर प्रबन्ध खर्चों सहित, भारत का दूतावास टोकियो के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किए जाएंगे। इस आयात लाइसेंस के प्रति भारत से किसी भी प्रकार के धन प्रेषण की अनुमति नहीं होगी।"

3. सार्वजनिक सूचना की दूसरी शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी।

SUBJECT.—*Licensing conditions for imports under West German Commodity Credit for 1971-72 (DM 100 Million Credit).*

**No. 17-ITC(PN)/73.**—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 82-ITC(PN)/72, dated the 14th June, 1972 on the above subject.

2. Para 4 of the licensing conditions as given in the Appendix to the said Public Notice may be deemed to have been reworded as under:—

"4. The goods and services obtained under the import licence must be supplied only by firms domiciled in the Federal Republic of Germany including the Land Berlin, and carrying on there an important part of their economic activities.

A confirmation by the supplier should be included in the documents and statements referred to in para 14 of these conditions to the effect that the supply portion of countries other than the Federal Republic of Germany, including Land Berlin, does not exceed fifty per cent of the value of the respective order."

K. S. NARANG,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय.—1971-72 के लिए पश्चिमी जर्मन पण्यवस्तु क्रेडिट (डी एम 100 करोड़ क्रेडिट) के अन्तर्गत आयातों के लिए लाइसेंस शर्तें।

संख्या 17—आई० टी० सी० (पी एन)/73.—उपयुक्त विषय पर, विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 82—आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 14 जून, 1972 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट के पैरा 4 में यथा निहित लाइसेंस शर्तों को इस प्रकार व्यक्त किया गया समझा जाए :—

"4. आयात लाइसेंस के अन्तर्गत प्राप्त किए गए माल तथा सेवाएं केवल उन फर्मों द्वारा संभरित की जानी चाहिए जो लैंड बर्लिन सहित जर्मनी संघीय गणराज्य में अधिवासी हों और वहां पर उनके आर्थिक कार्यकलापों में महत्वपूर्ण भाग ले रही हों।

पैरा 14 में उल्लिखित दस्तावेजों तथा विवरणों में संभरक द्वारा इस संबंध में पुष्टीकरण सम्मिलित होना चाहिए कि लैंड बर्लिन सहित जर्मनी संघीय गणराज्य से भिन्न देशों का संभरण भाग संबद्ध आदेश के मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना है"।

के० एस० नारंग,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1973